राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–1830/2016

अजमेर सिंह

–अपीलार्थी

बनाम

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
2. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक, हनुमानगढ।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 24.04.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : अनुपस्थित

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी ने यह कथन किया है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा वरिष्ठ अध्यापकों की वर्ष 2012–13 की डीपीसी में अपीलार्थी को शामिल करते हुए अपीलार्थी को प्रधानाध्यापक के पद पर चयनित कर अपीलार्थी को पदोन्नति दी जानी चाहिए थी, परंतु अपीलार्थी को वर्ष 2012–13 की डीपीसी में शामिल नहीं किया गया और अपीलार्थी से कनिष्ठ व्यक्तियों को पदोन्नति प्रदान की गई।
2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थी को प्रधानाध्यापक के पद पर रिव्यू डीपीसी कर वर्ष 2011–12 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति दी गई है। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में यह प्रकट हुआ है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई पदोन्नति वर्ष 2012–13 से पूर्व ही वर्ष 2011–12 की रिव्यू डीपीसी में पदोन्नति प्रदान की जा चुकी है।
3. परिणामस्वरूप यह अपील सारहीन हो जाने के आधार पर खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)